संख्या-84/2016/1720/सैंतीस-2-2016-1(12)/2013

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 जुलाई, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन पशु रोग अनुसन्धान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-186/सा0-1/एक्स-120(187)/कम्पो.(जि.यो.)/2016-17, दिनांक-29.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा और तदनुसार संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	7500.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7500.00
39-औषधि तथा रसायन	77500.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	7500.00
योग-	**100000.00**

(रूपये दस करोड़ मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अड़गड़ा लगाकर पशुओं को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा नियमानुसार धनराशि व्यय की जायेगी तथा व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी. के लिये निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स), 2016 में प्राविधानित व्यवस्थाओं तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि योजनान्तर्गत क्रय ऐसी फर्मों से ही किया जाय जो जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत हों तथा विगत वर्ष तक जिनका आयकर रिटर्न व वैट टैक्स पूर्णरूपेण जमा हो।
5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
6. धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>पृ0सं0-84/2016/1720(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-84/2016/1720/सैंतीस-2-2016-1(12)/2013, दिनांक-15.07.2016 का संलग्नक-

पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट)

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	115.940	115.940	1657.938	115.940	**2005.758**
2	मैनपुरी	119.350	119.350	851.677	119.350	**1209.727**
3	मथुरा	98.890	98.890	1556.300	98.890	**1852.970**
4	फिरोजाबाद	98.890	98.890	960.488	98.890	**1257.158**
5	अलीगढ़	158.270	158.270	2058.200	158.270	**2533.010**
6	हाथरस	68.200	68.200	800.000	68.200	**1004.600**
7	एटा	143.220	143.220	1249.000	143.220	**1678.660**
8	कासगंज	54.560	54.560	1374.800	54.560	**1538.480**
9	झांसी	75.020	75.020	919.250	75.020	**1144.310**
10	ललितपुर	64.790	64.790	1108.240	64.790	**1302.610**
11	जालौन	68.200	68.200	742.900	68.200	**947.500**
12	हमीरपुर	64.790	64.790	724.096	64.790	**918.466**
13	महोबा	51.150	51.150	561.978	51.150	**715.428**
14	बांदा	68.200	68.200	1073.840	68.200	**1278.440**
15	चित्रकूट	44.330	44.330	933.351	44.330	**1066.341**
16	लखनऊ	95.480	95.480	856.418	95.480	**1142.858**
17	रायबरेली	132.990	132.990	1119.670	132.990	**1518.640**
18	हरदोई	160.270	160.270	1749.450	160.270	**2230.260**
19	उन्नाव	177.320	177.320	1368.990	177.320	**1900.950**
20	सीतापुर	129.580	129.580	1494.050	129.580	**1882.790**
21	खीरी	143.220	143.220	1834.820	143.220	**2264.480**
22	बरेली	119.350	119.350	1388.580	119.350	**1746.630**
23	बदायूं	88.660	88.660	1642.530	88.660	**1908.510**
24	पीलीभीत	54.560	54.560	648.195	54.560	**811.875**
25	शाहजहांपुर	105.710	105.710	1202.126	105.710	**1519.256**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	मेरठ	109.120	109.120	1255.680	109.120	**1583.040**
27	बागपत	109.120	109.120	795.300	109.120	**1122.660**
28	गाजियाबाद	57.970	57.970	551.210	57.970	**725.120**
29	हापुड़	57.970	57.970	571.165	57.970	**745.075**
30	गौतमबुद्धनगर	68.200	68.200	515.835	68.200	**720.435**
31	बुलन्दशहर	153.450	153.450	2266.540	153.450	**2726.890**
32	सहारनपुर	122.760	122.760	1380.637	122.760	**1748.917**
33	मुजफ्फरनगर	163.680	163.680	1174.596	163.680	**1665.636**
34	शामली	85.250	85.250	603.502	85.250	**859.252**
35	मुरादाबाद	75.020	75.020	1103.411	75.020	**1328.471**
36	सम्भल	61.380	61.380	1157.128	61.380	**1341.268**
37	रामपुर	64.790	64.790	925.447	64.790	**1119.817**
38	बिजनौर	126.170	126.170	1492.411	126.170	**1870.921**
39	अमरोहा	71.610	71.610	1246.412	71.610	**1461.242**
40	वाराणसी	54.560	54.560	827.115	54.560	**990.795**
41	चन्दौली	61.380	61.380	658.567	61.380	**842.707**
42	गाजीपुर	177.320	177.320	1328.653	177.320	**1860.613**
43	जौनपुर	102.760	102.760	1446.097	102.760	**1754.377**
44	संतरविदासनगर	77.510	77.510	547.255	77.510	**779.785**
45	मिर्जापुर	92.070	92.070	1046.807	92.070	**1323.017**
46	सोनभद्र	78.430	78.430	1082.335	78.430	**1317.625**
47	गोरखपुर	177.320	177.320	876.676	177.320	**1408.636**
48	महाराजगंज	105.710	105.710	412.942	105.710	**730.072**
49	देवरिया	88.660	88.660	635.048	88.660	**901.028**
50	कुशीनगर	81.840	81.840	660.470	81.840	**905.990**
51	बस्ती	105.710	105.710	753.428	105.710	**1070.558**
52	संतकबीरनगर	61.380	61.380	677.451	61.380	**861.591**
53	सिद्धार्थनगर	85.250	85.250	677.451	85.250	**933.201**
54	आजमगढ़	197.780	197.780	1510.031	197.780	**2103.371**
55	मऊ	105.710	105.710	519.989	105.710	**837.119**
56	बलिया	190.960	190.960	783.846	190.960	**1356.726**
57	इलाहाबाद	167.090	167.090	1782.125	167.090	**2283.395**
58	कौशाम्बी	51.150	51.150	593.292	51.150	**746.742**
59	प्रतापगढ़	150.500	150.500	1133.587	150.500	**1585.087**
60	फतेहपुर	119.350	119.350	1411.839	119.350	**1769.889**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

61	**कानपुर नगर**	109.120	109.120	879.588	109.120	**1206.948**
62	**कानपुर देहात**	92.070	92.070	889.288	92.070	**1165.498**
63	**फर्रूखाबाद**	85.250	85.250	623.165	85.250	**878.915**
64	**कन्नौज**	64.790	64.790	700.138	64.790	**894.508**
65	**औरैया**	61.380	61.380	551.852	61.380	**735.992**
66	**इटावा**	88.660	88.660	648.596	88.660	**914.576**
67	**फैजाबाद**	85.250	85.250	1035.135	85.250	**1290.885**
68	**अम्बेडकरनगर**	61.380	61.380	797.641	61.380	**981.781**
69	**सुल्तानपुर**	109.120	109.120	1020.400	109.120	**1347.760**
70	**अमेठी**	95.480	95.480	945.293	95.480	**1231.733**
71	**बाराबंकी**	139.810	139.810	1208.550	139.810	**1627.980**
72	**बलरामपुर**	64.790	64.790	678.537	64.790	**872.907**
73	**श्रावस्ती**	44.330	44.330	511.460	44.330	**644.450**
74	**गोण्डा**	119.350	119.350	1336.512	119.350	**1694.562**
75	**बहराईच**	119.350	119.350	1392.680	119.350	**1750.730**
योग-		**7500.000**	**7500.000**	**77500.000**	**7500.000**	**100000.000**

(रूपये दस करोड़ मात्र)

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।